भारत सरकार के राजपत्र के खण्ड- II भाग-I में प्रकाशित होना है

फा. सं प्रशासन/ त्यागपत्र/ 10/2/2007/ 01 आ. नि. (प.) - 20612

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली

दिनांक, 6/03/2017

अधिसूचना संख्या 02/2017

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली के अधीन पदस्थापित श्री कुलविन्दर सिंह , उप- निदेशक (पद्धति) दिनांक 30.06.1997 से डयूटी से अनुपिस्थत है और उन्होनें अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं किया है और दिनांक 30.06.1997 से आज तक लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 12 (2) के साथ पठित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 29.03.2012 की अधिसूचना, जी एस आर 261 (ई) की शर्तो के अनुसार जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी जो विदेश में सेवा के अन्यथा, छुट्टी के साथ अथवा छुट्टी के बिना, लगातार पांच वर्ष की अवधि से अधिक के लिए ड्यूटी (सेवा) से अनुपस्थित रहता है, तो उसका सरकारी सेवा से त्यागपत्र समझा जाएगा, वशर्ते उप नियम (2) के प्रावधानों को लागू करने से पहले उस सरकारी कर्मचारी को ऐसी अनुपस्थिति के लिए कारणों को स्पष्ट करने के उचित अवसर दिया गया हो।

3. श्री कुलविन्दर सिंह, के मामले में, विभाग के पास उपलब्ध पते (पतों) पर आयकर निदेशालय (पद्धति), नई दिल्ली द्वारा दिनांक 31.05.2012 के पत्र फाइल संख्या प्रशासन/ त्यागपत्र/10/02/2007/01 आ.नि(प.)/3950 के एतत् द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जवाब में, दिनांक 15.06.2012 को पत्र हुआ, जिसमें उन्होनें दिनांक शून्य के पत्र द्वारा त्यागपत्र के संबंध में कार्यवाही करने का अनुरोध किया जो कि दिनांक 09.04.2007 को प्राप्त हुआ, जिसे अनाधिकृत अनुपस्थिति के लगातार पांच वर्षो की अधिक की अवधि के बाद दाखिल किया गया था। इस मामले में डयूटी से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के लिए नोटिस और केन्द्रीय सिविल सेवा(छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 12 के उपनियम (2) के प्रावधानों को आरम्भ करने और दिनांक 28.12.2016 को समाचार पत्रों अर्थात टाइम्स ऑफ इन्डिया (अंग्रेजी), हिन्दुस्तान टाईम्स (अंग्रेजी) , नवभारत टाईम्स (हिन्दी) और दैनिक भास्कर (हिन्दी), में भी प्रकाशित किया गया था जिसमें उनके लम्बे समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारणों को स्पष्ट करने के अवसर प्रदान किए गए थे और केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 12 के उपनियम 2 के अधीन दिनांक 30.06.1997 से क्यों न उनके अनुपस्थित रहने को त्यागपत्र समझा जाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। फिर भी, श्री कुलविन्दर सिंह , उप- निदेशक (पद्धति), दिल्ली से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

4. श्रीकुलविन्दर सिंह दिनांक 30.06.1997 से डयूटी से अनुपस्थित है और उन्होने डयूटी के लिए स्वंय को प्रस्तुत नहीं किया और दिनांक 24.12.1998 से आज तक अनाधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थित है।

5. इसलिए, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 12(2) के साथ पठित कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.02.2012 के जी एस आर 261 (ई) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति संतुष्ट है कि श्री कुलविन्दर सिंह को लगातार अनुपस्थित रहने पर दिनांक 24.12.1998 से उनका त्याग-पत्र माना जाएगा।

6. श्री कुलविन्दर सिंह सेवानिवृति सम्बधी कोई लाभ पाने के हकदार नहीं होगें।

[ठाकुर बिष्ट]

भारत सरकार के अवर सचिव

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार का प्रेस
मायापुरी, नई दिल्ली

[अधिसूचना संख्या 2017 का 02, फा.स. प्रशासन/ त्यागपत्र/10/2/2007/01- आ.नि. (प.)]

प्रतिलिपि

सेवा में,

1. (प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नई दिल्ली के माध्यम से) संबंधित अधिकारी
2. प्रधान आयकर महानिदेशक (प.)/ प्रधान आयकर महानिदेशक (सतर्कता) के निजी सचिव।
3. वेबसाइट प्रबन्धक, आयकर निदेशालय (पद्धति), नई दिल्ली
4. अधिसूचना फोल्डर